

राजस्थान सरकार  
नारीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.५३/नीवीव/३/१९ पार्ट

जयपुर, दिनांक:- ६.७.२००८

: आदेश :

राजस्थान नगर पारिवारिक भू-उपयोग परिवर्तन नियम, २००२ में जिला स्तरीय समीक्षा ५०० कर्गज भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन करने के लिये अधिकृत है उक्त क्षेत्रों के अध्यक्ष, जिला क्लैक्टर है। धूमिक जिला क्लैक्टर उन्ह घटत्वपूर्ण दार्यों में व्यस्त रहते हैं एवं क्षेत्रीय आयोजन वरने के लिये साझा देने में निम्नार्थी मानव वरते हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त क्षेत्रीय की अध्यक्षता अपने-अपने क्षेत्रीय नियम, अध्यक्ष/मेयर, नगर नियम/अध्यक्ष, नगर परिषद/नगर पारिवारिक करें। क्षेत्रीय क्लैक्टर के अध्यक्ष होंगे क्षेत्रीय मेयर/अध्यक्ष, रानीय नियम क्षेत्रीय के सदस्य नहीं। तथा क्षेत्रीय के अध्यक्ष मेयर/अध्यक्ष, रानीय नियम के नामे ही दशा में नियम अध्यक्ष क्षेत्रीय के सदस्य होंगे।

आदेश :-

४८५०२

६ श्य-स्स-भा रक्षान् ६  
शासन उप सचिव

प्रीतीलीपि निम्नांकित को सुष्ठुनार्थ एवं आवश्यक खार्डियां देतु।

प्रीष्ठा है:-

१. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
२. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नारीय विकास विभाग।
३. निजी सचिव, शासन राजिव, नारीय विकास विभाग।
४. लेन्जरीय भारुदत, जयपुर/बंजेमर/बोटा/जोधपुर/गढ़पुर/दी चोनेर।
५. जिला क्लैक्टर समर्त/ आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
६. मुख्य लार्डकारी अधिकारी, नगर नियम, जयपुर/जोधपुर/बोटा।
७. निदेशक, रानीय नियम विभाग, राजस्थान, जयपुर, जो ऐक्यकर लेख है कि समर्त नगर परिषदों/नगर पारिवारिकों को अपने स्तर से सूचित दरने का श्रम नहीं।
८. अध्यक्ष/सचिव, नारीय विकास नियम, समर्त।
९. रीक्षत पत्रावली।

४८५०२

भासन एवं सचिव

(२३)